



Constitutional Development (संवैधानिक विकास)



Shubham Gupta Sir

Join SelectionWay GS Channel

Join SelectionWay GS Channel

1858 का भारत शासन अधिनियम

कंपनी के शासन की समाप्ति

भारत का शासन ⇒ ब्रिटिश ताज व संसद

ब्रिटिश संसद का प्रत्यक्ष नियंत्रण
(महारानी विक्टोरिया)

- नया पद → भारत का राज्य सचिव → (लंदन में ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री)
- संसद के प्रति उत्तरदायी
- सहायता हेतु 15 सदस्यों वाली भारत-परिषद्
- मुगल सम्राट के पद की समाप्ति
- BOC व COD की समाप्ति
- भारत का गवर्नर जनरल → भारत का वायसराय
 - प्रथम: लॉर्ड कैनिंग

1861 का भारत परिषद अधिनियम

- गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद् का विस्तार
- गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में पहली बार भारतीय
 - लॉर्ड कैनिंग — गैर सरकारी सदस्य
 - बनारस के राजा
 - पटियाला के महाराजा नरिंदर सिंह
 - सर दिनकर राव
- विभागीय प्रणाली का आरंभ
 - लॉर्ड कैनिंग (1859)
 - वर्तमान कैबिनेट प्रणाली का आधार
- गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति
 - अवधि - 6 माह
- 1861 का उच्च न्यायालय अधिनियम
 - कलकत्ता (1 जुलाई 1861)
 - बम्बई (14 अगस्त 1861)
 - मद्रास (15 अगस्त 1861)
 - इलाहाबाद (17 मार्च 1866)
- गवर्नर जनरल को प्रांतीय विधान परिषद् स्थापित करने की शक्ति
 - बंगाल : 1862
 - उत्तर-पश्चिमी : 1886
 - पंजाब : 1897

1862 से 1908 तक

- ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेड रिडेम्पशन एक्ट, 1873 → 1 जून 1874 को BEIC की समाप्ति
- शाही उपाधि अधिनियम, 1876
 - ब्रिटिश प्रधानमंत्री बेंजामिन डिज़राइली
 - भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन
 - गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद् में 6वाँ सदस्य

- लोक निर्माण का अधिकारी लॉर्ड लिटन ने 1 जनवरी 1877 को एक अत्यंत भव्य 'दिल्ली दरबार' (Delhi Durbar) का आयोजन किया था।
- 1892 का भारत परिषद् अधिनियम
 - अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का आरंभ
 - भारत में पहली बार प्रतिनिधि प्रणाली (representative system) की नींव इसी अधिनियम से पड़ी।
 - गैर-आधिकारिक (non-official) सदस्यों को अप्रत्यक्ष चुनाव (Indirect Election) के माध्यम से चुना जाने लगा।
 - वार्षिक बजट पर बहस (discuss) करने का अधिकार
 - बजट पर मतदान (Voting) करने या संशोधन प्रस्ताव लाने का अधिकार नहीं था।
 - पूरक प्रश्न
 - 6 दिन की पूर्व नोटिस द्वारा प्रश्न

भारत परिषद अधिनियम, 1909

मॉर्ले-मिंटो सुधार

भारत सचिव - लॉर्ड मॉर्ले

वायसराय - मिंटो

सबसे कम अवधि वाला Act

- मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन मंडल
 - चुनाव भी मुस्लिम
 - वोट भी मुस्लिम
- लॉर्ड मिंटो ⇒ सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक
- भारतीयों की नियुक्ति
 - भारत परिषद् (लंदन) → कृष्ण गोविंद गुप्ता और सैय्यद हुसैन बिलग्रामी
 - वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय → सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा (विधि)
- भारतीयों को विधायिका में
 - पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार
 - बजट पर चर्चा करने के साथ-साथ लोक हित के विषयों पर प्रस्ताव (Resolution) लाने का अधिकार
- प्रांतीय विधायिकाओं की सीटों में वृद्धि

1919 का भारत शासन अधिनियम

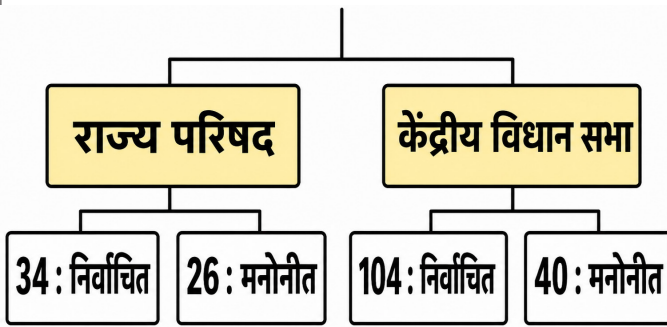
भारत सचिव -
माउटेबेटनवायसराय -
चेम्सफोर्डकेंद्र में द्विगुणात्मक
व्यवस्था

प्रांतों में द्वैध शासन

PM - लॉर्ड जॉर्ज
राजा - एडवर्ड सप्तम

- भारत में महिलाओं को मताधिकार
- ली आयोग → लोक सेवा आयोग (1926)
- भारत सचिव द्वारा "महालेखा परीक्षक" की नियुक्ति
- सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार → सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय
- केन्द्रीय बजट को प्रांतीय बजट से अलग किया
- 10 वर्षों के बाद जाँच आयोग का प्रावधान → साइमन कमीशन (1927)
- बाल गंगाधर तिलक → "बिना सूरज का सेवरा"

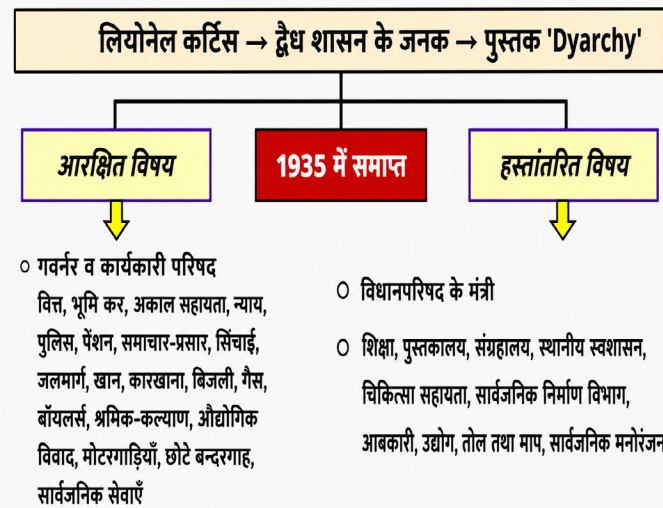
केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था



- कार्यकाल - 5 वर्ष
- केवल पुरुष, निर्वाचन
- कार्यकाल - 3 वर्ष
- प्रत्यक्ष निर्वाचन

- दोनों की शक्तियां लगभग समान थी
- बजट की अधिकांश शक्तियां → निचला सदन
- वायसराय किसी भी विधेयक को वीटो (Veto) कर सकता था।

प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली



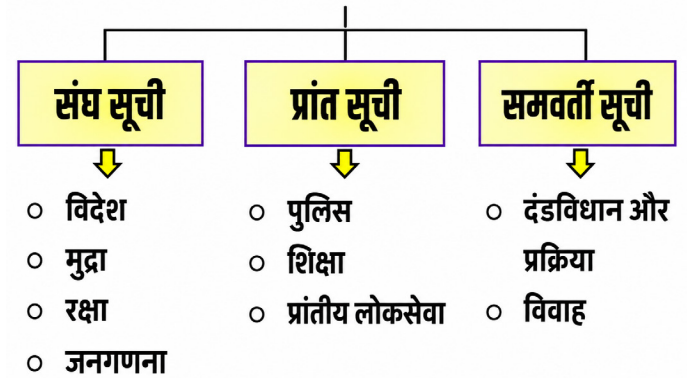
भारत शासन अधिनियम 1935



- अखिल भारतीय संघ
 - 11 ब्रिटिश प्रांत - अनिवार्य
 - 4 कमिश्नरी क्षेत्र - अनिवार्य
 - देसी रियासते - स्वैच्छिक
- प्रांतों में
 - द्वैध शासन समाप्त
 - अधिक स्वायत्तता
- संघीय न्यायालय की स्थापना
 - 1 + 2 न्यायाधीश
 - अंतिम अपील: प्रीवी काउंसिल (लंदन)
- ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता → इस अधिनियम में परिवर्तन का अधिकार मात्र ब्रिटिश संसद

- भारत परिषद का अंत
- साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार
 - दलित वर्ग
 - मजदूर
 - महिला
- मानचित्र परिवर्तन
 - भारत से वर्मा अलग
 - बम्बई - सिंध अलग
 - मध्य प्रांत + बरार
- भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना

केंद्र में द्वैध शासन - विषय सूचियाँ



❖ अवशिष्ट शक्तियाँ ⇒ वायसराय

❖ नेहरू

- गुलामी का अधिकार पत्र
- एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं

❖ अम्बेडकर

- मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है।

अगस्त प्रस्ताव 1940

- वायसराय लिनलिथगो → 8 अगस्त 1940
- उद्देश्य → द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करना
- प्रावधान
 - डोमिनियन राज्य का दर्जा
 - संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव
- नेहरू → दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील

क्रिप्स मिशन (मार्च 1942)

- अध्यक्ष → सर स्टेफोर्ड क्रिप्स (लेबर पार्टी)
- प्रस्ताव
 - डोमिनियन दर्जा
 - भारतीय संघ
 - संविधान सभा
- महात्मा गांधी → "डूबते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक"

वेवेल योजना (1945)

- अक्टूबर 1943 ⇒ वायसराय के रूप में वेवेल
- प्रावधान
 - अंतरिम राष्ट्रीय सरकार ↓ चर्चा → शिमला सम्मेलन (14 जुलाई 1945)
 - संविधान सभा

कैबिनेट मिशन (1946)

**24 मार्च
1946 दिल्ली
आगमन**

- ❑ घोषणा - फरवरी, 1946
- ❑ 15 मार्च, 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स

**03 ब्रिटिश
कैबिनेट मंत्री**

- ❑ पैथिक लॉरेंस (भारत सचिव)
- ❑ स्टैफोर्ड क्रिप्स (व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष)
- ❑ ए. वी. अलेक्जेंडर (नौसेना मंत्री)
- ❑ प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली

मुख्य उद्देश्य

- ❑ संविधान सभा का गठन
- ❑ अंतरिम सरकार की स्थापना
- ❑ भारत में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण

16 मई 1946 योजना

FAILED

कैबिनेट मिशन 1946 का आगमन एवं योजना प्रस्तुत

- 24 मार्च 1946: भारत में आगमन
- 16 मई 1946: योजना प्रस्तुत की

SECTION: तीन 'बड़े' सदस्य



लॉर्ड पैथिक-लॉरेंस
(भारत के लिए राज्य सचिव)



सर स्टैफोर्ड क्रिप्स
(बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष)



ए.वी. अलेक्जेंडर
(एडमिरल्टी के प्रथम लॉर्ड)

SECTION: प्रमुख उद्देश्य



सत्ता का शांतिपूर्ण
हस्तांतरण

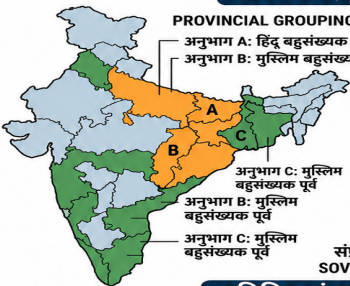


अंतरिम सरकार
का गठन



संवैधानिक ढांचा
तैयार करना

SECTION: प्रमुख प्रस्ताव



PROVINCIAL GROUPING

अनुभाग A: हिंदू बहुसंख्यक

अनुभाग B: मुस्लिम बहुसंख्यक पश्चिम

अनुभाग C: मुस्लिम बहुसंख्यक पूर्व

अनुभाग B: मुस्लिम बहुसंख्यक पूर्व

अनुभाग C: मुस्लिम बहुसंख्यक पूर्व

संप्रभु पाकिस्तान की SOVEREIGN PAKISTAN

कमजोर संघीय संघ



अन्य सभी शक्तियाँ प्रांतों की

प्रस्तावित संविधान सभा

CONSTITUENT ASSEMBLY

प्रतिक्रियाएं एवं परिणाम



कांग्रेस और मुस्लिम MUSLIM LEAGUE ACCEPTANCE



विभिन्न व्याख्याएं

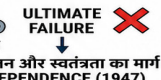
INTERPRETATIONS



अंतिम विफलता

विभाजन और स्वतंत्रता का मार्ग

INDEPENDENCE (1947)



स्वतंत्रता

INDEPENDENCE

4. संविधान सभा का गठन

- ♦ दिसंबर 1946 संविधान सभा का गठन (December 1946)
- ♦ 2 सितंबर 1946 : अंतरिम सरकार का गठन

- सदस्य : 389
- अप्रत्यक्ष निर्वाचन
- 10 लाख पर 1 सीट

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

ब्रिटिश संसद में पेश → 4 जुलाई, 1947

राजशाही स्वीकृति → 18 जुलाई, 1947

लागू → 15 अगस्त, 1947

1. दो स्वतंत्र डोमिनियन की स्थापना → भारत और पाकिस्तान
2. वॉयसराय का पद समाप्त कर दिया गया और दोनों देशों के लिए अलग-अलग गवर्नर-जनरल का पद सृजित किया गया।
3. भारत सचिव (Secretary of State for India) का पद समाप्त
4. ब्रिटिश सम्राट की उपाधि से "भारत का सम्राट" (Emperor of India) शब्द हटा दिया गया।
5. संविधान सभाओं को संप्रभुता
6. अंतरिम शासन की व्यवस्था → भारत सरकार अधिनियम, 1935
7. देशी रियासतों पर से ब्रिटिश सर्वोच्चता (Paramountcy) समाप्त
 - वे चाहें तो भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों, या स्वतंत्र

- ❖ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली (लेबर पार्टी)
- ❖ स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर-जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने (नेहरू को पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई)।
- ❖ पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर-जनरल सी. राजगोपालाचारी
- ❖ पाकिस्तान के पहले गवर्नर-जनरल मोहम्मद अली जिन्ना बने।